छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 22 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 31, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां–

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/खाद्य/2009/29–1, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, वन मंडल बिलासपुर में कैम्पा के माध्यम से किये गये कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में भू–माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(6) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(7) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(8) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 3

(9) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(10) श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक,2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(11) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

3 घंटे

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. अशासकीय विधेयक

1 घंटा 30 मिनट

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 4

8. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में हाईब्रिड बीज की गुणवत्ता टेस्टिंग हेतु पृथक से लैब खोले जायें।''

30 मिनट (2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 21 जुलाई, 2022